राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 2065 /जी.एस.
दिनांकः 06 / 9 / 2005

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब०/३७६२/२००५ दिनांक २६–०६–२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१६७३ की धारा–३७(२) के अधीन राजकीय महिला महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अँग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं संस्कृत विषयों में निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००५ से तथा परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में शिक्षण सत्र २००३–०४ एवं २००४–०५ को शून्य सत्र मानते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैः–

१– यदि महाविद्यालय व्दारा विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर ।

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

पत्रांक

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.2065/जी0एस0 दिनांक 06.9.2005 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3962/2005 दिनांक 29.06.2005 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन राजकीय महिला महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं संस्कृत विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2005 से तथा परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में शिक्षण सत्र 2003-04 एवं 2004-05 को शून्य सत्र मानते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.7.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 5090 /2005 दिनांक 19/9/05

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित है कि **महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा उक्त विषयों प्रवेश एक सप्ताह के अन्दर कर फ्लोपी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जाए ।**
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर
3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

Website : www.prsuinv.ac.in
E-mail ID- registrar@prsuniv.ac.in
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

पत्रांक : प्रोरासिविवि/सम्बद्धता/2024–2266 दिनांक 2/05/2024

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के क्रम में कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 02.05.2024 के अनुपालन में **राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर** को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत **बी0काम0 पाठ्यक्रम** संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन **शैक्षिक सत्र 2024–25 से सम्बद्धता** प्रदान की जाती है:–

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र, वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।
6. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या– 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या– 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांकः 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011, दिनांकः 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।
10. शासनादेश संख्या–292/सत्तर–2–2020–18(31)/2018 दिनांक 13.05.2020 एवं पत्र संख्या–266/सत्तर–2–2020–18(31)/2018 दिनांकः 23.04.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– प्रो0रा0सि0वि0वि0/कु0स0का0/2021–460 दिनांकः 25 अक्टूबर, 2021 के द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति महोदय।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. **प्रबन्धक, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर।**
4. परीक्षा नियंत्रक, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0।
5. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
6. प्रभारी एजेंसी को कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner